[24/3/2022]

प्रश्न सं. [क्र. 2899]

परिशिष्ट – "अ"

परि. (क)

शिक्षा का अधिकार

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल–462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक/राशिके/स्था0/2019/7077 भोपाल,दिनांक 14/11/2019

प्रति

कलेक्टर
समस्त जिले
मध्यप्रदेश।

विषयः–विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक एवं जनशिक्षक के पदों की पूर्ति के संबंध में।

1/ भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय,नई दिल्ली द्वारा समग्र शिक्षा अभियान मिशन की अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2019–20 एवं म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 27–58/2012/20–2 भोपाल,दिनांक 25 जुलाई, 2013 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार समग्र शिक्षा अभियान मिशन अंतर्गत प्रत्येक विकासखण्ड स्रोत केन्द्र कार्यालय में विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक (बी.ए.सी.) के 05 पद स्वीकृत होने से इन 05 पदों में से 02 विज्ञान संकाय, 02 भाषा जिसमें से 01 अनिवार्य रूप से अंग्रेजी, और 01 सामाजिक विज्ञान संकाय से पदपूर्ति की कार्यवाही एवं 21 विद्यालयों पर 01 पद के मान से 2660 जनशिक्षा केन्द्र में 02 जनशिक्षक के पद के मान से 5320 जनशिक्षक के पद की पूर्ति की कार्यवाही की जाना है।

2/ वर्तमान में प्रदेश में विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक/जनशिक्षक के कई पद रिक्त है। अतः विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक/जनशिक्षक के पदों की पूर्ति निम्नानुसार अर्हता एवं प्रकिया के माध्यम से की जाए :–

पदः–विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक एवं जनशिक्षक

पद की अर्हता

- उच्च श्रेणी शिक्षक/माध्यमिक शिक्षक
- आयु – दिनांक 01.07.2019 की स्थिति में 52 वर्ष से अधिक न हो।
- संबंधित के विरुद्ध कोई विभागीय जॉच, अपराधिक प्रकरण एवं लम्बे समय से लगातार अनुपस्थिति की शिकायत आदि प्रचलित न हो।
- प्रतिनियुक्ति अवधि– शासन के प्रचलित नियम

चयन प्रकिया

- चयन हेतु प्राचार्य, डाईट, जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग द्वारा नामांकित प्रतिनिधि एवं सहायक परियोजना समन्वयक (अकादमिक) की चयन समिति गठित की जाए। चयन समिति में कलेक्टर द्वारा अपना प्रतिनिधि अनिवार्यतः रखा जाए।

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग

➤ यदि कोई चयनित विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक/जनशिक्षक प्रतिनियुक्ति के पद पर ज्वाईन नहीं करता है, तो मेरिट सूची से उसका नाम विलोपित करते हुए शेष रहे प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थी की पदस्थापना की जावे और यदि ज्वाईन करने के पश्चात् वह अपने विभाग को जाना चाहता है, तो उसकी प्रतिनियुक्ति समाप्त कर सेवायें उसके मूल विभाग वापिस की जाए।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही समय-सारणी अनुसार कराने का कष्ट करें।

(आईरीन सिंथिया जे.पी.)
संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र

पृष्ठा. कमांक/राशिके/स्था./2019/7078 भोपाल,दिनांक 15/11/2019

प्रतिलिपि :-

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री,म0प्र0शासन,स्कूल शिक्षा विभाग।
2. प्रमुख सचिव,म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग,मंत्रालय,भोपाल।
3. प्रमुख सचिव,म.प्र.शासन, आदिमजाति कल्याण विभाग,मंत्रालय,भोपाल।
4. आयुक्त,लोक शिक्षण संचालनालय,गौतम नगर,भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. आयुक्त,आदिवासी विकास विभाग,सतपूड़ा भवन,भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. आयुक्त नगर निगम,समस्त नगर निगम की ओर सूचनार्थ।
7. मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,समस्त जिले (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
8. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, समस्त नगर पालिका की ओर सूचनार्थ।
9. नगर पंचायत अधिकारी, समस्त नगर पंचायत की ओर सूचनार्थ।
10. सहायक आयुक्त/जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. प्राचार्य,डाईट, समस्त जिले की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, समस्त जिले की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र

(3)

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग

परिशिष्ट – "ब"

ई-मेल

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.1/राज/जी/194/प्रति.नि./2017/798 भोपाल, दिनांक 09.06.17

प्रति,

(1) समस्त कलेक्टर्स मध्यप्रदेश।
(2) समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत म.प्र.।
(3) समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र.।

विषय– प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी हेतु जारी शासन आदेश दिनांक 30.5.2017 के संबंध में।

संदर्भ– मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1–13/2017/20–1, दि. 30.05.2017

:: 00 ::

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश क्रमांक एफ 1–13/2017/20–1, दिनांक 30.05.2017 के द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी (शिक्षकीय/गैर शिक्षकीय) जो स्कूल शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन निगम/मण्डल में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ है, को छोडकर ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ है तथा उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त हो गई हो तो उनकी प्रतिनियुक्ति पर सौंपी गई सेवायें तत्काल प्रभाव से वापस किये जाने के आदेश जारी किये गये है।

2/ उक्त आदेश के अनुक्रम में स्पष्ट किया जाता है कि, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यालय तथा उसके अनुषांगिक कार्यालयों यथा म0प्र0 पाठ्यपुस्तक निगम,/राज्य शिक्षा केन्द्र/जिला शिक्षा केन्द्र/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान/माध्यमिक शिक्षा मण्डल/राज्य ओपन स्कूल आदि कार्यालयों में पदस्थ ऐसे शिक्षक संवर्ग के कार्यरत कर्मचारियों को भारमुक्त न किया जाये अपितु स्कूल शिक्षा विभाग को छोडकर शेष विभागों मे कार्यरत ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनकी प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त की गई को जिस कार्यालय से वे प्रस्थित हुए थे, उस मूल संस्था/कार्यालय में अपनी उपस्थिति दिनांक 31.5.2017 तक दिये जाने के निर्देश थे। ऐसे कर्मचारियों का वेतन मूल संस्था/कार्यालय में उपस्थित होने पर ही आहरित किया जायेगा।

(नीरज दुबे)
आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृष्ठां.क्रमांक/स्था.1/राज/जी/194/प्रति.नि./2017/799 भोपाल, दिनांक 09.06.1

प्रतिलिपि:–

1. विशेष सहायक मान0मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग, वल्लभ भवन भोपाल।
2. स्टॉफ आफीसर, मुख्य सचिव, म0प्र0शासन, वल्लभ भवन भोपाल।
3. सचिव, म0प्र0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, वल्लभ भवन भोपाल।
4. महालेखाकार ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
5. परियोजना संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, लोक शिक्षण म.प्र.।
6. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
8. प्रबंध संचालक, म.प्र.पाठ्य पुस्तक निगम, पुस्तक भवन भोपाल।
9. समस्त जिला कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश की ओर उक्तानुसार मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें।
11. संचालक, म.प्र. राज्य ओपन स्कूल भोपाल।
12. उप संचालक (स्थापना–2, 3 एवं 4/लेखा एवं शिक्षाकर्मी) स्थानीय।
13. निदेशक, महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान म.प्र. भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग

आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश